संख्या-40/2025/320/23-6099/38/2025

प्रेषक,

शिव कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 31 जनवरी, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-2025 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के 07 सेतुओं के चालू निर्माण कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (31वां वृत्त सेतु), लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत लखनऊ क्षेत्र के कतिपय जनपदों के 07 सेतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 4469.92 लाख (रूपये चवालिस करोड़ उनहत्तर लाख बान्वे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	मुख्य अभियन्ता (सेतु) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या, दिनांक	स्वीकृत/ प्राविधिक/ बचत / बचत के उपरान्त लागत	अब तक आवंटन	वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवंटन		
							अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11424/CE-SEB/RYB /LKO/ 2024-25 Dt- 19-12-2024	नि.ख.-1 सीतापुर	जनपद सीतापुर में सिधौली-महमूदाबाद मार्ग (राज्य मार्ग) के किमी0-13 में 3x 3.0x 3.0 मी0 स्पान के आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट निर्माण कार्य।	167/2023/954/ 001-954-23-10-23- 10099-099-26-2023- दिनांक-19-09-2023	110.68 110.68 9.28 101.40	96.33	3.99	1.08	5.07
2	11424/CE-SEB/ RYB/ LKO/ 2024-25 Dt- 19-12-2024	प्रा.ख. रायबरेली	जनपद रायबरेली के विकास खण्ड बछरावां में बछरावां-मौरावां-महराजगंज-निगोहा मार्ग (प्र0जि0मा0-102सी) के किमी0-24 में 1x6.00 मी0 स्पान के बाक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य।	तदैव	63.38 63.38 7.25 56.13	40.75	12.12	3.26	15.38
3	11867/ CE- SEB/ RYB/ LKO/ 2024 -25 Dt- 23-01-2025	प्रा0 ख0 खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी में वि0ख0 मितौली में ग्राम रन्नूपुर के पास सरायन नदी पर 5x6.00 मी. स्पान के आर.सी.सी. लघु सेतु के निर्माण कार्य।	22/2023 /1544/23-10-22-03(सेतु)/2022- दिनांक-03-02-2023	178.34 178.34 1.26 177.08	97.88	62.4	16.8	79.20

4	11925/ CE-SEB/RYB/ LKO /2024- 25 Dt- 27-01-2025	नि.ख.-2 हरदोई	जनपद हरदोई के बिलग्राम से जफरपुर वाया रहुला सम्पर्क मार्ग के चैनेज 8.900 में बहा नाला पर 6x8x4.50 मी0 स्पान की आर0सी0सी0 बाक्स कल्वर्ट, पहुच मार्ग का निर्माण कार्य।	69/2024/ 353/001-353-2024 -23-10099 -10-2023 -दि0 16-03-2024	294.20 294.20 30.30 263.90	184.73	51.99	13.99	65.98
5	11780/ CE- SEB/ RYB/ LKO /2024-25 Dt- 15-01-2025	सेतु निगम लखनऊ	जनपद लखनऊ में मोहनलालगंज-मौरावा मार्ग के किमी0-13 (एस0 एच0-173) पर स्थित सई नदी के जबरेला घाट पर पूर्व निर्मित संकरे एवं क्षतिग्रस्त पुल के समीप नये संतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	140/ 2024/ 1232/ 001-1232 - 23-10- 17-2024 दिनांक -27-09-2024	1591.93 1591.93 NIL 1591.93	795.97	564.42	151.94	716.36
6	11867/ CE-SEB/ RYB/ LKO/2024 -25 Dt-23-01-2025	सेतु निगम खीरी	जनपद लखीमपुर खीरी के विधानसभा क्षेत्र मोहम्मदी में गोमती नदी के मढिया घाट पर सेतु, पहुंच मार्ग, कनेक्टिंग मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य	130/2024/ 1055/001-1055-2024-23-10002-002-8-2024-दिनांक-18-09-2024	1497.81 1445.92 NIL 1445.92	748.91	492.21	132.5	624.71
7	11867/ CE- SEB/ RYB/ LKO / 2024 - 25 Dt-23-01-2025	सेतु निगम हरदोई	जनपद हरदोई में अर्जुनपुर-बड़ागॉव मार्ग के रामगंगा नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	88/2021/ 929/23-10-21-60(सेतु)/ 2020-दिनांक-15-09-2021	13666.38 13666.38 NIL 13666.38	10019.84	2334.72	628.5	2963.22
कुल योग							**3521.85**	**948.07**	**4469.92**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक-04 मार्च 2024 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी

कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। यदि पूर्व में इस कार्य के लिए धनराशि आवंटित की जा चुकी है या अधिक धनराशि आवंटित हुई है, तो सम्बन्धित खण्ड/मुख्य अभियन्ता की जिम्मेदारी होगी कि उक्त धनराशि को समपर्ण किया जाय। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/ क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 35,21,85,000 (रुपये पैंतीस करोड़ इक्कीस लाख पचासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 9,48,07,000 (रुपये नौ करोड़ अड़तालीस लाख सात हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपरण सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04- मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) संबंधित कोषाधिकारी।
(7) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(8) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(9) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिव कुमार)
अनु सचिव।